प्रेस नोट संख्या 93

दिनांक- 30.04.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में *“operation conviction”* अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे-13 सुलतानपुर में मु0अ0सं0 434/2014 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कमरौली के अभियुक्त राम सहारे उर्फ बालसागर कोरी पुत्र श्रीराम कोरी निवासी ग्राम पूरे तिवारी मौजा खानापुर चपरा थाना मोहनगंज जनपद अमेठी को दिनांक 29.04.2024 को धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रु0 अर्थदण्ड, धारा-363 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000 रु0 अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की दिनांक 10.07.2014 समय 14:00 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिग नातिन के साथ अभियुक्त राम सहारे उर्फ बालसागर कोरी पुत्र श्रीराम कोरी निवासी ग्राम पूरे तिवारी मौजा खानापुर चपरा थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने पर मु0अ0सं0 434/2014 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कमरौली पर पंजीकृत होकर विवेचक श्री कृष्ण कान्त द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए- 02 दिनांक 17.01.2015 एवं को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।